झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: आदेश ::

आदेश सं0–2ए/आरोप–1–154/2012 का0 ..../ राँची, दिनांक ....सितम्बर, 2012

विभागीय अधिसूचना सं0– 1766 दिनांक 21.02.2012 के द्वारा श्री बैजनाथ राम (कोटि क्रमांक–559/03, गृह जिला– पलामू) तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी, हजारीबाग सम्प्रति निलंबित का प्रोन्नति के उपरांत क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के पद पर पदस्थापन किया गया। लेकिन श्री राम द्वारा क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के पद पर योगदान नहीं किया गया। इस प्रकार श्री राम द्वारा सरकार के आदेश की अवहेलना की गई, जिसके लिए इन्हें विभागीय आदेश संख्या– 8197 दिनांक 14.07.2012 द्वारा निलंबित किया गया है।

2. श्री राम से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त इन्हें सरकार के आदेश की अवहेलना के लिए चेतावनी की सजा दी जाती है एवं तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री राम को जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(यतीन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–2ए/आरोप–1–154/2012 का0 ..../ राँची, दिनांक .... सितम्बर, 2012

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–2ए/आरोप–1–154/2012 का0 10147 / राँची, दिनांक 01 सितम्बर, 2012

प्रतिलिपि– राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड का कोषांग/विभागीय प्रधान सचिव, कोषांग/प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग/प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका/उपायुक्त, हजारीबाग/उपायुक्त, दुमका/श्री बैजनाथ राम, निलंबित झा0प्र0से0, मुख्यालय– प्रमण्डलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका का कार्यालय/विभागीय प्रशाखा–2 एवं 2ए (चारित्री) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.9.12

सरकार के उप सचिव।